5.00 P.M.

STATEMENT BY MINISTER

Match- Fixing in Cricket

THE MINISTER OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SUKH DEV SINGH DHINDSA): The issue of match-fixing has been at the centre-stage of media reporting for the last few weeks. It has also been debated in the two Houses of Parliament. I have already made statements in both the Houses of Parliament on this issue. In my statement, I had mentioned that Government will not hesitate to initiate an inquiry in the matter of match-fixing by any agency of the Government, as required. On the basis of several news-items in prominent magazines and newspapers of the country, as also the statement of prominent cricket administrators and players, there is need to inquire into the matter further. Government believes that those who are guilty must be punished, those who are innocent must not be slandered, those who have evidence must cooperate and shall be given adequate protection, and those who make ill founded allegations must be exposed. Keeping in view the sentiments expressed by hon. Members in both Houses of Parliament, the sensitivity of the case and the complexities involved, as also the issue of jurisdiction, Government has decided to entrust the matter to CBI for appropriate inquiry and necessary action. During the discussions in Parliament on this issue, the pre-dominant view was also to entrust this inquiry to the CBI. It is hoped that this inquiry will clear the air of rumours and suspicion surrounding this subject. The case already registered by the Delhi Police under FIR No. 111/2000 against Hansie Cronje and others will be pursued by Delhi Police to its logical conclusion.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have a point to make. As the matter has been referred to the CBI for investigation, I think no clarifications should be sought otherwise it will affect.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): Your point is well made. The Hon. Minister will take care of this.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: They will simply make speeches and many things will come from the Government side.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. N. CHATURVEDI): The simple point is, only because it is registered, does not necessarily make it *sub-judice*. I have no doubt that Members will seek precise clarifications. There should not be much of a problem. Shri Santosh Bagrodia. He is not here. Shri N. K. P. Salve.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Sir, I am happy that I am able to congratulate the Vajpayee Government for at least one good decision in this tenure, and that one good decision in this tenure is interesting: entrusting the murky affair of match-fixing to the CBI. It is a heart-breaking affair, but a murky affair. Sir, in my explanation, I want to know from the Minister because, in the statement that he had made earlier, he stated that an inquiry into the matter of match-fixing by an agency of the Government as required would be made; the announcement was made, now, the Minister proceeds to say, "Government has decided to entrust the matter to CBI for appropriate inquiry and necessary action" and later on it is said, "It is hoped that this inquiry will clear the air of rumours and suspicion surrounding this subject." Sir, I am sure the Minister is aware of the fact that money power in cricket has reached Himalayan dimensions and where money comes, corruption follows. Now, allegations, serious allegations, are related to match-fixing in which the players might be involved or some of the agents of the bookies might be involved, I do not know. But it will be a very limited inquiry. Also, with money, there are serious allegations involving players, team players, team officials, administrators, Board, Board officials, bureaucrats, ministers. What is required, Sir, is an inquiry into all credible allegations of corruption to clean and purge once and for all, so far as the noble game of cricket is concerned. I want to know, Sir, what, according to the Minister, is the precise ambit and scope of the word "appropriate inquiry". Will it only be confined to match-fixing here and there; and if nothing is found, it is to be pushed under the carpet and corruption goes on as it is? Or, will it also cover any credible corruption, pecunary corruption, nothing else, but pecunary corruption, relating to the great game of cricket? In-half-a-second I want to say, Delhi High Court found that some officials of Doordarshan deliberately committed a breach of contract so that the telecasting rights should go to another private channel. Such things are happening in this game because millions and millions and billions of rupees are involved. Therefore, I would like the Minister to clarify whether, to really clear the air of rumours and suspicion, the

investigation would not be confined purely to match-fixing, but to the entire area, the entire gamut, of pecunary corruption around this great game, on the basis of any credible allegation.

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Sir, I would like to fully associate myself with what Shri N.K.P. Salve has said. I would like to congratulate the Sports Minister that he has had a wide-ranging consultation and he has finally bowed to the wishes of this House and the entire, country in ordering a CBI inquiry. But, as Mr. Salve has rightly asked, what are the terms of reference of this CBI inquiry? We would like to know what the exact terms of reference are. Is this inquiry fully broadbased? The issue he has brought out, which I also endorse, is the large-scale corruption in awarding of Doordarshan contracts for various matches. This is a major corruption issue. I hope that also will come within the ambit of the terms of reference. Also, I would like to know if the CBI is being told to cooperate with the Interpol because match-fixing is not confined to the borders of India. The Delhi Police is already enquiring into the case of the South African cricketer. The English cricketers have also said something. Similarly, the Australians have also mentioned something. So, it has got wider implications. I don't know. The ICC meeting which is going to be held on the 2nd or the 3rd of May, will also look into it. So, there will have to be a close liaison between the Interpol and the CBI. So, under the terms of reference, will it also be asked to liaise with the Interpol on this very vital matter. This is what I want to know.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, खेल मंत्री के इस वक्तव्य से एक चीज तो समाप्त हो जाती है - जो मांग हो रही थी कि इंक्वायरी होनी चाहिए। उस आकांक्षा और उस मांग की समाप्ति तो होती है। पर इस खेल के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। सीबीआई को इंक्वायरी के लिए देंगे। यहां पर दुबई बेस्ड लोग भी इन्वाल्व हैं, सिनेमा के हीरो-हीरोइन भी इन्वाल्व हैं... **(व्यवधान)**... क्रिकेट की मैच फिक्सिंग में आईसीसी और बीसीसीआई के आफीशियल्स इन्वाल्व हैं, मैच से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इम्पायर से लेकर पानी पिलाने वाले, सब के सब इन्वाल्व हैं। अब बहुत लोगों ने देखा होगा कि जिस वक्त हैंसी क्रोन्जे खेल रहा था तो उस समय मैच देखते वक्त मैंने भी देखा कि उसने हेड फोन लगाया हुआ था। छोटा हेड फोन जो आजकल एसपीजी लगाती है। उसी वक्त ऐसा संदेह हुआ था कि यह कान में लगाया हुआ क्या है? क्या उसी से सिग्नल मिलते हैं? ये सारी जितनी टीवी में रिकार्डेड चीजें हैं इनको देखिए तो पता लगेगा। कभी कान के ऊपर ल्यूको प्लास्ट का एक टेप लगा लेते हैं। अंदर छोटा सा ट्रांसमीटर लगा हुआ हो सकता है।

इसकी इंक्वायरी करने के लिए टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं? आपने तो साधारण रूप से कह दिया कि देश की प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में बहुत सारे समाचारों, प्रसिद्ध क्रिकेट प्रशासक और खिलाड़ियों के वक्तव्यों के आधार पर भी इस मामले में आगे जांच करने की आवश्यकता है। उसको बेसिस दिया है। लेकिन आपका टर्म आफ रेफरेंस और टाइम फ्रेम क्या होगा? क्या आप मैचफिक्सिंग में आगे कोई रोक लगा सकेंगे? क्या आप जब तक सीबीआई की इंक्वायरी समाप्त नहीं होती तब तक क्रिकेट का कोई खेल इंडियन टीम किसी विदेशी टीम के साथ भारत में या अन्यत्र नहीं खेलेगी...। इसकी क्या आप हमें एशोरेंस देंगे, क्योंकि मैच फिक्सिंग के बारे में एक बार पुलिस के हाथ में, इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसीज़ के हाथ में जब एक ढर्रा आ जाता है, तो ये स्टोरिए या सट्टा खिलाने वाले जो लोग हैं ये दूसरा ढर्रा अपना लेते हैं । इस दुरुपयोग से बचाने के लिए आपने क्या रास्ता लिया है और क्या इस सदन को बताने की कृपा करेंगे कि जब तक यह केस खत्म नहीं हो जाता तब तक भारत की टीमें किसी भी विदेशी टीम के साथ, भारत में या विदेश में कोई खेल नहीं खेलेंगी ?

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं खेल मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि पिछले 8-10 रोज़ के दौरान संसद् के दोनों सदनों की भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीबीआई इन्क्वायरी की घोषणा की है । जिस बिंदु पर अभी अहलुवालिया जी ने कहा कि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने टाइम फ्रेम का कोई जिक्र नहीं किया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कृपया इस पर भी वह अपना स्पष्टीकरण दें कि जो इन्क्वायरी आप सीबीआई को सौंप रहे हैं क्या उसका कोई टाइम फ्रेम निश्चित किया गया है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सीबीआई जिन क्रिकेटर्ज़ को इंटैरोगेट करेगी, उनके बारे में हम यह मान कर चलते हैं कि उनमें से बहुत सारे या जितने हमारे भारतीय क्रिकेटर्ज़ हैं वे सभी बेदाग हैं, लेकिन सीबीआई की इंटैरोगेशन की जो शैली होती है, उस शैली से कहीं उनके खेलने की जो कला है या उनका जो मनोबल है, वह कहीं प्रभावित न हो, इसका कोई मैकेनिज्म या इस प्रकार की कोई व्यवस्था खेल मंत्री जी करेंगे, यह मैं जानना चाहूंगा ?

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, खेल मंत्री जी का वक्तव्य आया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खेलों के अंदर भी खेल से संबंधित अधिकारी और खिलाड़ी ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी) : नहीं, उनको पूछने दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा : मैंने वक्तव्य के लिए नहीं कहा, जिस संबंध में वक्तव्य आया ...**(व्यवधान)**... हां, जिस वजह से आया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है । अब गौतम जी, हमको तो बताना पड़ेगा ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, आपने अपने वक्तव्य के अंदर बताया कि प्रशासकों और खिलाड़ियों के वक्तव्य के आधार पर भी, इस मामले की जांच कराने की आवश्यकता है, तो कि स-किस प्रशासक और किस-किस खिलाड़ी के वक्तव्य की आप जांच कराने की बात कह रहे हैं ? इसके अंदर सीबीआई की जांच की बात भी आती है । अब तक सीबीआई ने जितने भी केसेज़ को अपने हाथ में लिया है, उनमें सीबीआई जरूर दोषी घोषित करती है, लेकिन न्यायालय के अंदर सब लोग बरी हो जाते हैं, चाहे जितने भी महत्वपूर्ण केस आए हैं । अब तक तो मंत्री जी लगता है कि आप सीबीआई को इसकी जांच देकर कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि यहां के जो स्वच्छ छवि वाले खिलाड़ी हैं, जो कहीं दोषी नहीं हैं, उन बेचारों को जबर्दस्ती सीबीआई अपनी जांच के अंदर लपेट ले ? उनको बचाने के लिए आपके पास क्या आधार है? यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है आपकी एफआईआर लॉज हुई हैंसी क्रोन्जे और अन्यों के विरुद्ध ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी) : मीणा जी, आप सीबीआई के ऊपर इतना शक मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**...और सवाल आपने बहुत अच्छा पूछ लिया।

श्री मूलचन्द मीणा : नहीं, दिल्ली पुलिस में एफ.आई.आर. लॉज हुई । माननीय मंत्री जी मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड के सदस्य, प्रशासक या खिलाड़ी कौन-कौन इन्वाल्व हैं और किस-किस क्रिकेट बोर्ड के प्रशासक और खिलाड़ी के माध्यम से आपने जांच की आवश्यकता को महसूस किया है ? क्या उन खिलाड़ियों या किसी खिलाड़ी ने सही बात कही है ? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी): खिलाड़ी से तो सही बात की ही उम्मीद की जाती है । यह तो साल्वे साहब ने शुरू में ही कहा है कि नोबल गेम है । ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा : नहीं, मुझे मनोज प्रभाकर के नाम की याद आती है । वह कई दिनों से कह रहे हैं, आज से करीब 2-3 साल पहले भी कहा है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया । बल्कि उस बेचारे को क्रिकेट बोर्ड ने खेल से भी अलग कर दिया ।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी) : देखिए, आप मैरिट्स पर नहीं जाइये । वे सब चीज़ें **(व्यवधान)** आपने जो शंकाएं प्रकट की हैं वे सब चीज़ें बाद में इसमें आयेंगी । ...**(व्यवधान)**...वह मैं समझता हूं कि साल्वे साहब, कलमाडी साहब और अहलुवालिया साहब ने भी वही बात को कहा है और वह उसमें आ गया है । ...**(व्यवधान)**...

श्री मूलचन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले मनोज प्रभाकर ने जो आरोप लगाए थे, उन पर सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया ? दूसरे एफ.आई.आर. लॉज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की और एफ.आई.आर. किस तारीख को लॉज हुई । महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने एफ.आई.आर. संख्या 111/2000 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है । मैं जानना चाहूंगा कि मामला कब दर्ज किया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी): मीणा जी, आप रोज अखबार देखते हैं और कई-कई अखबार देखते हैं ।

SHRI P.N. SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. Sir, while congratulating the Government for having entrusted this matter to the CBI for an inquiry, I would like to be very precise by emphasising what Mr. Salve has said that this inquiry should not stop at only bringing out the facts involved in this particular case, but it should also find a solution so that such things do not happen in future. Sir, the sanctity of certain things has to be preserved, and so also the reputation of certain areas has to be preserved. The cricket which was in the minds and hearts of all, from children to elderly, was shattered one fine morning. It is the responsibility of this Government to ensure that with the help of the findings of this inquiry such a thing does not happen in future in any area of sports. I would also request the Minister for fixing a timeframe for bringing out the facts. Thank you.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी तक आप के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं और उन से जानना चाहता हूं इंक्वायरी तो अपनी तरह से चलेगी, जो भी फैसला होना होगा होता रहेगा और कानून भी अपना काम करता रहेगा, लेकिन इस बीच भारत के बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का एक वक्तव्य आया है जोकि बहुत ही सूझबूझ भरा वक्तव्य है । उन्होंने कहा है कि जब तक यह सारा मामला निर्णीत नहीं हो जाता तब तक भारत के खिलाड़ियों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने की परमीशन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इस से उन की भूमिका और मनोबल पर असर पड़ेगा । क्या इस तथ्य की ओर आप का ध्यान गया है ? क्या आप इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्थाओं के प्रमुखों से बात करना चाहेंगे ? हमारे क्रिकेट खिलाड़ी देश में खेलते रहें, लेकिन बाहर खेलने न जाएं क्या इस बारे में आप ने फैसला किया है ?

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, the other day Mr. Kapil Sibal raised an important point stating that we do not have any Extradition Treaty with South Africa. When a case has been filed against a South African player, how are we going to pursue the matter in the absence of an Extradition Treaty with South Africa? This point was raised by Shri Kapil Sibal. But, in this statement there is no reference to this aspect. I think simply by registering a case we cannot move further. Therefore, we have to be very careful in this regard.

* **श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल)** : धन्यवाद उपसभासध्यक्ष महोदय । इस विषय पर चर्चा पहले भी हो चुकी है और मंत्री जी पहले एक बयान दे चुके हैं । मैं सब से पहले तो उन को धन्यबाद देना चाहता हूं कि सरकार ने एक फैसला, भले ही देर से सही, दुरुस्त लिया कि सी.बी.आई. इंक्वायरी होगी । महोदय, सरकार को पहले ही इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए था । अगर सरकार शुरूआत से ही गंभीर होती तो कम समय में ज्यादा सार्थक कार्यवाही हो सकती थी क्योंकि आप ने जो बयान दिए और मीडिया में, अखबार और मेगजींस में बड़ी सेंसेशनल न्यूज आई और जिन में हो सकता है कुछ सच्चाई हो या न भी हो, लेकिन जिस तरह से खेल को रौंदा गया, वह ठीक नहीं है । महोदय, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए, इस में मैं आप के साथ सहमत हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाना चाहिए । प्रैस काउंसिल को आप यह कहेंगे कि अखबार में या मैगज़ीन में जो-जो समाचार निकले हैं, कहां तक उसमें सच्चाई थी, इसका वह पता लगाए क्योंकि कोई भी ऐसी स्टोरी निकल जाने से सब अपने-अपने व्यापार में लग जाते हैं तो यह पता लगाया जाना जरूरी है कि उसमें कहां तक सच्चाई थी और उसमें जनर्लिस्टिक ऐथिक्स को कहां तक माना गया था ? एक खिलाड़ी का कैरियर बनाने में उसकी और समाज की बड़ी मेहनत लगती है लेकिन उसको एक सैंसेशनल न्यूज़ से ही आसानी से बिगाड़ा जा सकता है । तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरे, आपने इसकी जांच सी.बी.आई. से कराने के लिए कहा है । हालांकि इस जांच एजेंसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, एक प्रीमियर एजेंसी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह पता चल रहा है कि किस तरह से सी.बी.आई. के केस भी फिक्सड् होते हैं । अब ऐसे में आप किससे जांच कराएंगे ? क्रिकेट खेल में इस तरह होने के बाद, यहां तो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यह हाउस आफ लाड्र्स है, हमारे देश के टीनऐजर्स के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है । इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि राजनीति से पीड़ित हो

+Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debates.

गए तो सिनेमा में गए, वहां हीरो-हिरोइन को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा । उसके बाद खेल जगत में उन्हें कुछ नए हीरो, नए आइकॉन्स मिले और वे भी अगर इस तरह से डिमॉलिश हुए तो उनकी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है और उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात होता है । ऐसे में किसको वे अपना आइडियल मानें, किसको अपना आइकॉन मानें, यह संकट पैदा हो गया । आपको मालूम है कि अभी जो नाम आए हैं, जो सिटोरिए कहलाते हैं, बुकी हैं, बंगाल के हावड़ा जिले में वैस्ट बंगाल पुलिस ने कई साल पहले एक बुकी को अरेस्ट किया था और बाद में मुम्बई पुलिस, दिल्ली पुलिस और सबको यह कहा गया था कि यह एक रेकेट है । तो इस जांच में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनके हाथ कितनी दूर तक पहुंचे हुए हैं कि मुम्बई पुलिस, दिल्ली पुलिस हिली तक नहीं और उस केस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया । अभी पता चला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जांच होगी, कि जिनके नाम आए हैं उनके कई ऐसे लोगों के साथ नाम जुड़े हुए थे । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सी.बी.आई. के केस को भी मॉनिटर करना पड़ता है और मैं पार्लियामेंटरी कमेटी के मैम्बर की हैसियत से कह सकता हूं कि कितनी ही ऐसी फाइल्स हैं जो दबी रहती हैं, वे मूव नहीं होती हैं अगर केस को सही ढंग से मॉनिटर न किया जाए । आपके विभाग की भूमिका उसमें बहुत कम है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें इतने माइलेज मिलते हैं कि खुद गवर्नमेंट आफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हों, टैस्ट मैच और वन-डे मैच में कोई उन्हें पूछता नहीं है अगर उन्हें माइलेज न मिलने वाला हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. एन. चतुर्वेदी) : मॉनिटरिंग का ध्यान रखेंगे वे ।

***श्री मोहम्मद सलीम** : सब माइलेज देते हैं, अपनी-अपनी जगह पर सब देते हैं। तो यह देखा जाना चाहिए कि किसी को अनड्यू माइलेज न मिले, जांच सही तरीके से हो और आपको यहां पर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि इंक्वायरी टाइम बाउंड होगी, यह ज्यादा लम्बी नहीं खिंचनी चाहिए । धन्यवाद ।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैच फिक्सिंग के बारे में जो कुछ भी अखबारों में छपा या इलेक्ट्रानिक मीडिया पर आया उससे ऐसा लगा कि क्रिकेट खेल की प्रतिष्ठा ही दाव पर लग गई है। शक की सुई बड़े पदाधिकारी से लेकर बड़े खिलाड़ी तक घूम गई । इसलिए इसकी व्यापक जांच तो आवश्यक थी और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इसकी जांच सी.बी.आई. से करा रहे हैं । इसके साथ ही साथ मैं सलीम साहब की इस बात से सहमत हूं कि इधर कुछ मामलों में सी.बी.आई. की प्रतिष्ठा गिरी ऐसा नहीं कह सकते

---

*Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debates.

किंतु धूमिल अवश्य हुई है । वह प्रतिष्ठा फिर से कायम हो, सी.बी.आई. अपनी मर्यादा के अनुकूल मैच फिक्सिंग के मामले में काम करे। कितना ही बड़ा आदमी उसमें इन्वाल्व क्यों न हो कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अखबार में जो खबरें आ रही हैं, उनसे इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का शामिल होना महसूस होता है और जब बड़े लोग किसी मामले में शामिल होते हैं तो जांच पर उसका असर पड़ता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सी.बी.आई. बिल्कुल ईमानदारी से जांच करे और बड़े से बड़ा आदमी भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा सदन भी चाहता है और हम भी चाहते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी ऑनरेबल मेंबर्स का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे स्टेटमेंट को सुना और मैंने जो इंक्वायरी सी.बी.आई. को दी है, उन्होंने उसका समर्थन किया ।महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं भी ज़ाहिर की हैं। मेंबर्स ने यह भी कहा है कि हमने शायद पहले इस मामले को सीरियसली नहीं लिया । सारा हाऊस इस बात पर सहमत होगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, इतना प्रचार हुआ और अगर उसी वक्त सी.बी.आई. की इंक्वायरी बिठा देते, कुछ न देखते तो पार्लियामेंट जो 17 तारीख से बैठने वाली थी, फिर यहां आप लोगों ने ही कहना था कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था लेकिन गवर्नमेंट ने डिसीजन पहले ले लिया। इसलिए मैंने उस दिन भी हाऊस में अर्ज़ किया था कि जैसे ही मुझे मालूम हुआ तो मैं अगले ही दिन यहां पर आया और मैंने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाई जिसमें दिल्ली पुलिस, होम-मिनिस्ट्री, ऐक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग शामिल थे । पहले यह आशंका थी कि हमारे दूसरे मुल्क के साथ जो रिलेशंस हैं, वे खराब हो जाएंगे लेकिन जब मुझे दिल्ली पुलिस ने बताया कि हमारे पास तो टेप है तो मैंने उनसे कहा कि यह बात भी उठी है कि आपने टैपिंग कैसे की । वे कहते हैं कि यह उनका तो टेलीफोन ही नहीं था । हम तो किसी और चीज के लिए टैपिंग कर रहे थे, यह चीज तो वैसे ही निकल आई । मैंने कहा कि आप आज ही यह खबर प्रैस को दो कि यह उनका टेलीफोन नहीं था और यह किसी और का टेलीफोन था, जो उनके पास था, ताकि लोगों में जो यह भावना पैदा हुई है कि ये शायद बाहर के लोगों की भी टैपिंग करते हैं, वह दूर हो जाए । यह अगले दिन पेपर्स में आया ।

फिर यह मेरी मजबूरी भी थी और मैं यह चाहता था कि इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए क्योंकि जैसा आप सबने कहा कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वे तो मुल्क के हीरो हैं । अगर उन पर गलत इलज़ाम लग जाए, कोई वैसे ही पेपर में लगा दे और हम कहें कि बिल्कुल ठीक है, सच है तो वह भी गलत काम है ।

इसलिए मैंने 27 तारीख को मीटिंग रखी जिसमें साल्वे साहब भी मौजूद थे। मुझसे मीडिया ने भी पूछा कि आपने इतना लंबा समय क्यों दिया ? इसलिए दिया कि पार्लियामेंट का सेशन आएगा, एक हफ्ता या दो दिन, तीन दिन, जैसे दोनों हाऊसेज की इच्छा होगी, उसके अनुसार डिस्कस करेंगे और वह डिस्कशन हुआ और डिटेल्ड डिस्कशन होता रहा दोनों हाऊसेज में और मैंने बयान भी दिया, उसमें भी मैंने यह क्लियरली कहा कि हम हेसिटेट नहीं करेंगे और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से इंक्वायरी करा लेंगे । कल जो मीटिंग हुई, उसमें सब के सब बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, कैप्टन, ऐक्स-कैप्टन थे, सब ऑफिशियल्स थे, जो पहले ऑफिशियल रहे चुके हैं जैसे साल्वे साहब, वे भी मौजूद थे । जैसे यहां पार्लियामेंट के मेंबर्स का मैजोरिटी व्यू था, वहां पर भी यह मैजोरिटी व्यू था कि सी.बी.आई. को इंक्वायरी दी जाए। हमारे भारत में सी.बी.आई. सबसे प्रीमियर इन्वैस्टिगेटिंग एजेंसी है । आपने भी बोलते हुए कहा कि बंबई की पुलिस के पास भी टेप है, उनके पास भी कुछ सबूत हैं । तो दिल्ली पुलिस तो वह नहीं ले सकती । मेरा ख्याल तो नहीं है, यह मेरी स्टेटमेंट में क्लीयर है। क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा है और हिन्दुस्तान का है, वह इंटरपोल से भी इंटरक्ट करेंगे, वह इंटरपोल को भी इंवोल्व करेंगे। इसलिए यह इंक्वायरी उसको दी गई, हमें उन पर शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे सब की डिमांड थी कि सी.बी.आई. को इंक्वायरी देनी चाहिए। उसकी टर्म्स और मोडलटीज वह तो आज नहीं तय होंगी, अभी तो इंक्वायरी दी है। लेकिन मैं हाऊस को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह इंक्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म होगी। वैसे इंक्वायरी को टाईम-बाउंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंवेस्टिगेशन में मालूम नहीं आगे क्या मिल जाए। कोई कमीशन हो तो उसको तो टाईम-बाउंड किया जा सकता है लेकिन किसी ऐसी इंक्वायरी को टाईम-बाउंड करना जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लोग भी शामिल बताए जाते हो, मुश्किल होगा। लेकिन यह जरूर है कि उसमें रिक्वेस्ट करेंगे होम मिनिस्टर साहब को और उनको भी। यह जरूर है कि जितनी जल्दी हो सकें इसका निबटारा किया जाए। दूसरी बात, अहलुवालिया जी ने कहा कि इसको बेन होना चाहिए। कपिल देव का सजेशन है कि जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई मैच नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यह तो ठीक नहीं होगा। आफ्टर ऑल सारे प्लेयर्स तो गलत नहीं हो सकते और इस गेम को इसलिए खत्म भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे हिन्दुस्तान के लोगों के दिल में यह बसते हैं। इसलिए यह कहना कि इस पर बेन लग जाए मैं समझता हूं कि यह भी उस गेम के साथ इंसाफ नहीं होगा। यह भी शंका है कि प्लेयर्स का कहीं मनोबल न गिर जाए, उनके साथ कोई ज्यादती न हो जाए। इसलिए सी.बी.आई. का अपना दायरा है कि वह इसमें कैसे करेगी।

मैंने अपने स्टेटमेंट में प्रेस को भी यही कहा है कि किसी के पास भी कोई सबूत है

तो वह दे दे। कहते हैं कि इसमें उनको डर है। मनोज प्रभाकर का नाम यहां पर लिया गया। मुझे वह पर्सनली मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब से भी वह मिले हैं। उनसे कहा गया है कि आपको डरने की कोई जरूरत नही है। आपको जैसी प्रोटक्शन चाहिए वैसी मिलेगी। सिर्फ मनोज प्रभाकर को ही नहीं मिलेगी कोई भी एलीगेशन साबित करना चाहे, कोई सबूत देना चाहे तो वह आकर दे, गर्वनमेंट तैयार है उसको पूरी प्रोटक्शन देने के लिए।

मीणा जी ने कहा कि यह बताएं कि किस-किस का इसमें नाम है यह मैं कैसे बतला सकता हूं। अगर मुझे मालूम होता कि इन्होंने पैसा लिया है तो फिर इंक्वायरी की क्या जरूरत है। अब तो सी.बी.आई. ही इंक्वायरी करके बतला सकती है कि उसमें कौन-कौन हैं। दूसरी बात, क्योंकि इसमें सी.बी.आई. की इंक्वायरी होनी है, मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं कहना चाहता। हम ऐसी बातें अभी करेंगे तो इंक्वायरी पर भी असर पड़ेगा। यहां पर क्लीयर कर दिया गया है कि स्पेसिफिक केस हेंसी क्रोनिए का दिल्ली पुलिस में रजिस्टर्ड हुआ है। चूंकि दिल्ली पुलिस का दायरा इतना ही है इसलिए इसे दिल्ली पुलिस को देना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, मेंबर्स ने भी कहा है, हाऊसेज में भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। वह अपना काम जारी रखेगी। उनके केस में सी.बी.आई. दखल नहीं देगी। मैं यह भी यकीन दिलाता हूं कि जो सब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और सी.बी.आई. भी कहेगी कि वे भी उनके साथ कोआपरेट करें।

श्री एन.के.पी. साल्वे : इंक्वायरी का स्तर क्या होगा ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चतुर्वेदी) : टेलीकास्टिंग राइट के बारे में वह पूछ रहे हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : ऐसा है कि यह ब्राड बेस्ड इन्क्वायरी होगी। ...**(व्यवधान)**... जैसा आपने कहा एलिगेशन है, उन्होंने कहा कि इन्होंने डीडी के साथ धोखा किया है, जिसके बारे में आज अखबार में भी आया है। हम वह भी डिसकस करेंगे।

SHRI SURESH KALMADI: We want an assurance from the hon. Minister that the contract given by Doordarshan will also be investigated by the CBI.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : नेचुरली, कोई भी इसमें और बात लाना चाहे तो उसको भी हम करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): The House stands adjourned till 11 a.m., on Tuesday, 2nd May, 2000.

The House then adjourned at thirty-six minutes past five of the clock, till eleven of the clock on Tuesday, the 2nd May, 2000.

MGIP(PLU)MRND—1741RS—2-11-2000—300 Copies.